प्रेषक,

निदेशक, पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 5/2125/2015–5/196/2014 लखनऊ दिनांक 10 सितम्बर, 2015

विषयःजनपदों में स्थापित पंचायत उद्योगों जहां सेनेटरी नैपकीन मशीन की स्थापना की गयी है, उन पंचायत उद्योगों द्वारा उत्पादित सेनेटरी नैपकीन की बिक्री के रेट तथा ट्रेड मार्ग का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिन पंचायत उद्योगों द्वारा सेनेटरी नैपकीन मशीन स्थापित करके सेनेटरी नैपकीन का उत्पादन किया जा रहा है। उन सभी पंचायत उद्योगों द्वारा सेनेटरी नैपकीन की पैकिंग के रैपर पर ट्रेड मार्क सुबह नाम लिखा जायेगा तथा 08 पीस की पैकिंग की 01 पैकेट की बिक्री की कीमत 20/– रूपये तथा 06 पीस की पैकिंग की 01 पैकेट की बिक्री की कीमत 15/– रूपये रखा जायेगा, जिससे सभी उद्योगों द्वारा उत्पादित की जा रही सेनेटरी नैपकीन की कीमत एवं ट्रेड मार्क की एकरूपता बनी रहे।

अतः आपको को निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद में स्थापित पंचायत उद्योगों जहां सेनेटरी नैपकीन का उत्पादन किया जा रहा है। उन पंचायत उद्योग निरीक्षक/व्यवस्थापक को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0।

संख्याः 5/2125/2015–5/196/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उत्तर प्रदेश।
4– समस्त पंचायत निरीक्षक/व्यवस्थापक, पंचायत उद्योग, उत्तर प्रदेश।

10.9.15
(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0।

This PC/E/A-Section-5/Ramesh Sir/Nirmal Bharat.doc

14

दिनांक 18–09–2015 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में ग्रामीण महिलाओं और युवतियों के उपयोगार्थ पंचायत उद्योग के माध्यम से उत्पादित सेनेटरी नैपकिन के बिकी एवं अधिकाधिक उपयोग हेतु प्राथमिकता प्रदान किये जाने के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्तः–

दिनांक 18–09–2015 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में ग्रामीण महिलाओं और युवतियों के उपयोगार्थ पंचायत उद्योग के माध्यम से उत्पादित सेनेटरी नैपकिन के बिकी एवं अधिकाधिक उपयोग हेतु प्राथमिकता प्रदान किये जाने के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों का विवरण निम्न हैः–

क्र.सं.	नाम	पदनाम
	सर्वश्री....	
1	चंचल कुमार तिवारी	प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।
2	अरविन्द कुमार	प्रमुख सचिव,चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0।
3	महेन्द्र कुमार	विशेष सचिव, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0।
4	श्री एस एन सिंह	उपनिदेशक(पं0), पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0।
5	डा0 मीना सिंह	निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0।
6	डा0 योगेन्द्र कुमार	निदेशक, सी.एम.एस.डी., स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0।
7	डा0 स्वप्नदास	संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0।
8	डा0 एन0के0 बनवा	संयुक्त निदेशक, एम.सी.एच. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0।
9	विजय बहादुर सिंह	विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
10	रूबी सिंह	अपर निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
11	कमलेश प्रियदर्शी	वरिष्ठ विशेषज्ञ, सर्व शिक्षा अभियान उ0प्र0।
12	विकास श्रीवास्तव	उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
13	करूनेश कुमार सिंह	अनु सचिव, कारागार, उ0प्र0।
14	आर0पी0 सिंह	डी0आइ0जी0(कारागार), उ0प्र0।
15	आरती श्रीवास्तव	संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0।

3208

उप निदेशक (पं0)(एम)

निदेशक 1/10/15

2– प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) योजनान्तर्गत कम लागत पर सेनेटरी नैपकिन के उत्पादन हेतु प्रदेश में 34 जनपदों में कार्यरत एवं गतिशील पंचायत उद्योगों को चिन्हित करते हुए सेनेटरी नैपकिन के उत्पादन का कार्य शुरू किया गया है, जिनमें से 15 पंचायत उद्योगों द्वारा उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। सेनेटरी नैपकिन के विपणन एवं उत्पादन में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं हेतु रोजगार सृजन का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें अपेक्षित सफलता भी प्राप्त हो रही है। शासनादेश संख्याः 410/पाँच–9– 2014–9(178)/11 दिनांक 04 मार्च, 2014 में पंचायत उद्योग के माध्यम से सेनेटरी नैपकिन के क्रय हेतु निर्धारित अधिकतम 10 प्रतिशत की मात्रा तक के आदेश को पुनः जारी करने की आवश्यकता है।

में आपसी समन्वय स्थापित कर गुणवत्तापरक उत्पादन सुनिश्चित करते हुए अधिकतम बिक्री कर कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

अन्त में ~~कोई बिन्दु न होने पर~~ धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव.

उत्तर प्रदेश शासन
पंचायती राज अनुभाग-3
संख्या-2620/ 33-3-2015-136/2015
लखनऊ दिनांकः 29 सितम्बर, 2015

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2-अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0।
3-श्री महेन्द्र कुमार, विशेष सचिव, पंचायती राज निदेशालय,उ0 प्र0।
4-डा0 मीना सिंह, निदेशक,परिवार कल्याण
5-डा0 योगेन्द्र कुमार, निदेशक, सी.एम.एस.डी., डी.जी.एम.एच.
6-डा0 स्वप्नदास, संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण
7-डा0 एन0के0 बनवा, संयुक्त निदेशक, एम.सी.एच.
8-श्री विजय बहादुर सिंह, विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा
9-सुश्री रुबी सिंह, अपर निदेशक, बेसिक शिक्षा
10-श्री कमलेश प्रियदर्शी, वरिष्ठ विशेषज्ञ, सर्व शिक्षा अभियान उ0प्र0।
11-श्री विकास श्रीवास्तव, उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा
12-श्री करुनेश कुमार सिंह, अनु सचिव, कारागार
13-श्री आर0पी0 सिंह, डी0आइ0जी0(कारागार)
14-श्री आरती श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग
15-श्री एस.एन.सिंह, उपनिदेशक(प0), पंचायतीराज निदेशालय,उ0प्र0।

आज्ञा से

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव

संख्या: 8596/पीएसपीआर/2015
दिनाँक 06.10.2015

5.5
07/10/15

निदेशक, पंचायती राज।

राज्य पोषण मिशन की प्रगति बैठक मा0 सांसद श्रीमती डिम्पल यादव की अध्यक्षता में दिनाँक 05.10.2015 को 12:30 बजे मिशन के कार्यालय कक्ष इन्दिरा भवन, लखनऊ में हुई। पंचायती राज विभाग से जानकारी प्राप्त कर निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी :–

1– "लो कास्ट सेनेटरी नैपकिन" के उत्पादन के कार्य पंचायत उद्योगों के माध्यम से अभी तक 17 जनपदों में प्रारम्भ हो पाया है। इसका विस्तार कर 40 जनपदों तक यह कार्यक्रम दिसम्बर, 2015 के अंत तक प्रारम्भ कराया जाना है।

2– पंचायत उद्योगों के कार्य संचालन में "वर्किंग कैपिटल" की समस्या आ रही है। इसके निदान के लिए जिलाधिकारियों को प्रमुख सचिव की ओर से निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु पत्र भेजा जाय :– (i) स्थानीय बैंकों से सस्ते दर पर कार्यशील पूँजी पर ऋण (ii) खादी ग्रामोद्योग में सेनेटरी नैपकिन यूनिट को पंजीकृत कराकर ऋण उपलब्ध कराया जाना (iii) सरकारी आपूर्ति किये जाने की स्थिति में 50 प्रतिशत की धनराशि अग्रिम के रूप में भुगतान करना।

3– स्वच्छ भारत मिशन "ग्रामीण" में प्रचार–प्रसार की मद में कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा है। इस सम्बन्ध में टी0वी0, स्पॉट्स, रेडियो जंगिल्स और अन्य विज्ञापन सम्बन्धी कार्य कराकर प्रचार–प्रसार किया जाय और इसमें राज्य पोषण मिशन के बिन्दुओं पर भी सूचना दी जाय। इसके लिये राज्य पोषण मिशन के मिशन निदेशक, श्री कामरान रिजवी से चर्चा कर कार्यवाही कर ली जाय।

4– पंचायत उद्योगों के माध्यम से "लो कास्ट सेनेटरी नैपकिन" उत्पादन की कार्यवाही को "नेशनल रूरल लिवलिहुड मिशन" (NRLM) से भी जोड़ा जाय और महिलाओं के समूहों का प्रशिक्षण कराते हुये 08–10 गाँव के क्लस्टर में इस प्रकार एक–एक युनिट स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में प्रयास किये जायं। इसके लिये आयुक्त, ग्राम्य विकास के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यवाही कर ली जाय।

उप निदेशक (पं0)(एल०)

निदेशक
7/10/15

5— लो कास्ट सेनेटरी नैपकिन 02 प्रकार के बनाये जा रहे हैं। एक सामान्य प्रकार के, दूसरे प्रसूति महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले सेनेटरी नैपकिन। इस सम्बन्ध में मिशन निदेशक, नेशनल हेल्थ मिशन, श्री अमित घोष द्वारा अपेक्षा की गयी है कि अन्य राज्य सरकारों द्वारा यदि इस प्रकार के नैपकिन खरीदे जा रहे हैं तो तत्सम्बन्धी आदेश की प्रतियाँ उन्हें उपलब्ध करायी जायं जिससे वे अपने मिशन के माध्यम से आपूर्ति आदेश दे सकें।

6— ग्राम पंचायतों द्वारा अपने कोष या राज्य वित्त आयोग के धन से आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना या मरम्मत का कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में निर्देश सभी को प्रसारित किये जायें।

06.10.2015
(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव
पंचायती राज विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

विशेष सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं अनुश्रवण हेतु प्रेषित।

06.10.2015